भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
06.12.2023 के
अतारांकित प्रश्न सं. 589 का उत्तर

के-रेल परियोजना

589. श्री के. मुरलीधरन:
श्री वी.के. श्रीकंदन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने दक्षिण रेल को के-रेल के साथ परियोजना से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करने और यथाशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड का यह नवीनतम निदेश दक्षिण रेल द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों पर आधारित था;

(ग) क्या राज्य (के-रेल) को इस प्रयोजनार्थ रेलवे की लगभग 108 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करना होगा;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे के-रेल द्वारा रेलवे भूमि के अधिग्रहण के लिए सहमत हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने इस परियोजना को तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति देने के संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): केरल में तिरूवनंतपुरम से कासरगोड तक सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड रेल को विकसित करने के लिए केरल रेल विकास निगम (केआरसीएल), जो केरल सरकार (51%) और रेल मंत्रालय (49%) का एक संयुक्त उपक्रम है, द्वारा चिन्हित किया गया है। सर्वेक्षण के बाद, केआरडीसीएल ने अनुमोदन हेतु रेल मंत्रालय को सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की है। तकनीकी व्यवहार्यता के लिए पर्याप्त ब्यौरे डीपीआर में उपलब्ध नहीं कराए हैं। इसलिए, केआरडीसीएल को संरेखण योजना, भूमि का ब्यौरा, मौजूदा रेल नेटवर्क पर क्रासिंगों आदि जैसे विस्तृत तकनीकी दस्तावेजों को मुहैया कराने के लिए कहा गया है, ताकि आगे परियोजना की व्यवहार्यता की जांच की जा सके। दक्षिण रेलवे को केआरडीसीएल के साथ परियोजना के संबंधित विभिन्न मामलों की चर्चा करने और आगे की जांच के लिए रेल मंत्रालय को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है। परियोजना अभी स्वीकृत नहीं है।

****